रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21112026-278113
CG-MH-E-21112026-278113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6078] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2026/कार्तिक 29, 1948
No. 6078] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2026/KARTIKA 29, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना शुद्धिपत्र

मुम्बई, 20 नवम्बर, 2026

का.आ. 6318(अ).— केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 03 जुलाई 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 563(अ), तारीख 29 जून 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के जामनगर जिले मे राजकोट-कानालुस ब्रोड गेज इकहरी लाईन का दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिये अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उसत अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र "संदेश" में तारीख 04 अगस्त 2026 और "दि टाइम्स ऑफ़ इन्डिया" में तारीख 05 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया गया था, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20(ङ) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करी है की इससे उपाबद्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार; उक्त अधिनियम की धारा 20(ङ) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर अन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी |

अनुसूची

गुजरात राज्य के जामनगर जिले में प्रस्तावित राजकोट-कानालुस ब्रोड गेज इकहरी लाईन खंड के दोहरीकरण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण |

जिले का नामः जामनगर

क्रम संख्या	खसरा संख्या	7/12 के अनुसार भुधारक का नाम	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (स्क्वेअर मिटर)
तहसील : जामनगर (ग्राम्य)			
ग्राम : चावडा			
1	64/1	मगनभाई माधाभाई कोठीया घनश्यामभाई माधाभाई कोठीया	730.00
		कुल :	**730.00**

[फा. सं. ई -585433-11]

राजेन्द्र कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक /सी

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION CORRIGENDUM

Mumbai, the 20th November, 2026

S.O. 6318(E).— Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number G.S.R. 563(E), dated 29th June, 2026 published in Gazette of India Extraordinary. Part II, section-3, Sub-section (i), dated 3rd July, 2026 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, has declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Rajkot-Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Jamnagar in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily "Sandesh" dated 04 August, 2026 and "The Times of India" dated 05 August, 2026 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And, whereas, Nil objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the power conferred by sub- section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired with or without Structure Falling within the District Jamnagar for Special Railway Project, Rajkot - Kanalus doubling of Broad-Gauge single line in the state of Gujarat.

Name of District: Jamnagar

Sr. No.	Survey No.	As per 7/12 Land holder's name	Area of Land to be Acquired (in Sqm.)
Taluka : Jamnagar (Rural)			
Village : Chavda			
1	64/1	Maganbhai Madhabhai Kothiya Ghanshyambhai Madhabhai Kothiya	730.00
		Total	**730.00**

[F. No. E-585433-11]

RAJENDRA KUMAR, Chief Project Managar /C

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.